रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2574] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 2016/कार्तिक 4, 1938
No. 2574] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2016/KARTIKA 4, 1938

IndiaCode

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3324(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के का.आ.2264(अ) तारीख 22 जुलाई, 2013 द्वारा गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का तीन वर्ष के अवधि के लिए गठन किया गया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि का 21 जुलाई, 2016 को अवसान हो गया है।

और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2264(अ) तारीख 22 जुलाई, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रधान सचिव या सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार, | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 3. | वन निदेशक, पंचायत निदेशालय, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | निदेशक, सर्वेक्षण और भू-अभिलेख निदेशालय, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 5. | निदेशक, पर्यटन निदेशालय, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 6. | निदेशक, मत्स्य पालन निदेशालय, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 7. | मुख्य इंजीनियर, वाटर वर्कस विभाग, गोवा सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 8. | निदेशक, पर्यावरण विभाग, गोवा सरकार | सदस्य- सचिव (पदेन) |
| 9. | श्री औद्धुत जे. भौंसले, पूर्व कार्यकारी इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, गोवा सरकार | सदस्य |
| 10. | डा. नंद कुमार सावंत, प्रधानाचार्य, पार्वती बाई चौगले, कला और विज्ञान महाविद्यालय, मारगो, गोवा | सदस्य |
| 11. | डा. प्रभाकर शिरोडकर, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनियोलोजी, गोवा | सदस्य |
| 12. | प्रो0 सुहास गोडसे, पूर्व विभागाध्यक्ष, प्राणी विज्ञान, धीमपे कला और विज्ञान महाविद्यालय, मीरामार, गोवा | सदस्य |
| 13. | श्री शीरांग वी. जामले, सचिव, ग्राम विकास केंद्र (एनजीओ), सेवोई वीरम, गोवा | सदस्य |

1. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गोवा राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) गोवा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों की जांच और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, उपबंधों के उल्लंघन को अंतवर्लित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करेगा ;

परंतु उप पैराओं के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी ;

(iii) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(iv) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ;

2. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरण मुद्दों, जो उस यथास्थिति, गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, पर कार्रवाई करेगा ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा;

4. प्राधिकरण, क्षरण या अपचय के लिए अधिक सहजभेद्य तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा ।

5. प्राधिकरण पूर्वोक्त पैरा 3 और पैरा 4 के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनमें उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

6. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन का मानचित्र तैयार करेगा और उसे राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

7. प्राधिकरण, अनुमोदित गोवा राज्य तटीय प्रबंध जोन योजना में अधिकथित सभी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

8. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से होगी ।

10. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट इसके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों।

11. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के प्रति जागरुकता और समर्थन आदि सम्मिलित है और ऐसे उपयुक्त प्रतिक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन जुटाना, वित्तपोषण आदि भी सम्मिलित हैं ।

12. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रुप मे पुवर्विलोकन करेगा।

13. प्राधिकरण, सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के सभी उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और उल्लंघनों या अननुपालन के मामले में समुचित कार्रवाई करने का निदेश देगा।

14. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रुप में आमंत्रित करेगा और वेतन और यात्रा भत्ता, महगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे।

15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के साथ पठित भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां अध्यक्ष और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती है।

16. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में प्रादर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा।

17. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

18. प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी में स्थित होगा।

19. अन्य मामला, जो विशिष्टतया प्राधिकरण के क्षेत्र या अधिकारिता के भीतर नहीं आता, पर संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।

[फा. सं. 12-6/2005-आईए- III (पीटी)]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

IndiaCode

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## ORDER

New Delhi, the 26th October, 2016.

**S.O. 3324(E).**— Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 2264(E), dated the 22nd July, 2013, the Central Government constituted the Goa Coastal Zone Management Authority for a period of three years with effect from the date of publication of the said Order in the Official Gazette and up to the 21st July, 2016;

And whereas, the term of the said Authority has expired, the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the order number S.O. 2264 (E), dated the 22nd July, 2013, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Goa Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, consisting of the following, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Principal Secretary or Secretary (Environment), Government of Goa. | Chairman (Ex-Officio) |
| 2 | Principal Chief Conservator of Forest, Department of Forest, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |
| 3 | Director, Directorate of Panchayats, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Director, Directorate of Survey and Land Records, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |
| 5 | Director, Directorate of Tourism, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |
| 6 | Director, Directorate of Fisheries, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |
| 7 | Chief Engineer, Water Resources Department, Government of Goa. | Member (Ex-Officio) |
| 8 | Director, Department Environment, Government of Goa. | Member Secretary (Ex-Officio) |
| 9 | Shri Audhut J. Bhounsale, Former Executive Engineer, Public Works Department, Government of Goa. | Member |
| 10 | Dr. Nandkumar Sawant , Principal, Parvatibai Chowgule College of Arts & Science, Margao, Goa. | Member |
| 11 | Dr. Prabhakar Shirudkar, Former Deputy Director, National Institute of Oceanography, Goa. | Member |
| 12 | Prof. Suhas Godse, Former Head of Department of Zoology, Dhempe College of Arts & Science, Miramar, Goa. | Member |
| 13 | Shri Shirang V. Jambhale, Secretary, Gram Vikas Kendra (NGO), Savoi Verem, Goa. | Member |

1. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State Government of Goa, namely:—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the State Government of Goa and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up suo-motu or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(iii) filing complaints under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.

2. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the Goa State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

3. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

4. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 3 and 4 above and modifications thereof, to the National Coastal Zone Management Authority for examination and approval.

6. The Authority shall prepare and submit to the Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

7. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions laid down in the approved Coastal Zone Management Plan for State Government of Goa.

8. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

9. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.

10. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

11. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy, etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

12. The Authority shall regularly review the functioning of District Coastal Zone Monitoring Committees.

13. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, District Collector to ensure compliance of the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 and take suitable action in case of violations or non-compliance.

14. The Authority, whenever required, shall invite other experts as members during its meetings and the pay and allowances such as traveling allowance, dearness allowance, sitting fees, Field visit fees, etc., shall be as per the norms decided by the Central Government.

15. The powers of issuing directions under section 5 of the said Act, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority .

16. To maintain transparency in working of the Authority, it shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on violations and court matters including the orders of the Court and National Green Tribunal, and also the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

17. The powers and functions of the Authority shall be subject to supervision and control of the Central Government.

18. The Authority shall have its headquarters at Panaji.

19. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[ F.No 12-6/2005-IA III (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt.Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.28 11:00:42 +05'30'